email: cfbhagl-forest-uk@nic.in
फोन / फैक्स-0135-2431169,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक – 613 / 12-1 दिनांक, मुनिकीरेती 08 / 10 / 2020.।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोड्ल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– राज्य योजना के अन्तर्गत देवीधार धनारी–फोल्ड मोटर मार्ग से रन्ताणगॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.05 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। **(FP/UK/ROAD/31858/2018).**

सन्दर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी का पत्रांक–1390 / 12–1, दिनांक–07.10.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव पर आपके द्वारा लगाई गई ऑनलाईन आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा उपरोक्त संदर्भित से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है।

क0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि बिन्दु सं0 06 व 07 के प्रतिउत्तर में यह प्रस्तुत किया गया है कि मलवा निस्तारण के लिये क्षेत्र का विवरण पैरा 2.4 का और मलवा निस्तारण के लिये क्षेत्र योजना में सही किया गया है। यह पाया गया है कि मलवा निस्तारण योजना के लिये चयनित क्षेत्र आरक्षित वन भूमि में 0.16 और गैर वन भूमि में 0.9 है0 है। परन्तु पैरा बी में 2.4 पर भरे गये विवरण के अनुसार वन भूमि में पूर्ण 0.25 है0 क्षेत्र शामिल उल्लेखित है। राज्य सरकार विवरण में इस विसंगति को स्पष्ट करें और इस सम्बन्ध में सही जानकारी प्रस्तुत करें।	भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़, देहरादून के पत्रांक–8बी / यू0पी0सी0 / 06 / 204 / 2019 / एफ0सी0 / 444, दिनांक–25.06.2020 द्वारा लगाई गई आपत्ति का प्रति उत्तर इस कार्यालय का पत्रांक–421 / 12–1, दिनांक–10.09.2020 के द्वारा पूर्व में आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें बिन्दु सं0 06 के प्रतिउत्तर में उल्लिखित किया गया है कि परियोजना हेतु नया संशोधित मक डिस्पोजल प्लान ऑनलाईन पार्ट–1 व पार्ट–2 के Additional Documents में अपलोड कर दिया गया है एवं प्रति संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है व बिन्दु सं0–07 के प्रतिउत्तर में स्पष्ट किया गया है कि याचक विभाग द्वारा 125x20 मीटर साईज अर्थात 0.25 हे0 क्षे0 फ0 का मक डम्पिंग यार्ड आरक्षित वन भूमि में चयनित किया गया है एवं इसके अतिरिक्त दूसरा 45x20 मीटर साईज अर्थात 0.09 हे0 क्षे0फ0 का मक डम्पिंग यार्ड नाप भूमि में चयनित किया गया है। संशोधित मक डिस्पोजल प्लान की छायाप्रति आपके अवलोकन हेतु पुनः संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 धीरज पाण्डेय)
वन संरक्षक

संख्या – / , उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि – प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ0 धीरज पाण्डेय)
वन संरक्षक

Scanned with CamScanner